न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

प्र0पत्र संख्या ::– 51/2022

1. देवीसिंह पिता देवासिंह जी दरोंगा निवासी माता जी का खेडा तह0 कोटडी जिला भीलवाडा
2. शंकरसिंह पिता देवासिंह जी दरोंगा निवासी माता जी का खेडा तह0 कोटडी जिला भीलवाडा
3. मोहनसिंह पिता देवासिंह जी दरोंगा निवासी माता जी का खेडा तह0 कोटडी जिला भीलवाडा
4. गीताबाई पिता देवासिंह जी दरोंगा निवासी माता जी का खेडा तह0 कोटडी जिला भीलवाडा
5. प्रेम पिता देवासिंह जी दरोंगा निवासी माता जी का खेडा तह0 कोटडी जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1. कालीबाई पिता शंकरलाल दरोगा निवासी सुवानिया तह0 बेगूँ हाल पत्नी धन्नालाल दरोगा निवासी देदिया तह0 बेगूँ
2. शंभू पिता गोपी जी जाति दरोगा निवासी सुवानिया तह0 बेगूँ
3. तहसीलदार साहब बेगूँ भूमिधारी जी तहसील कार्यालय, बेगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित ::– श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता प्रार्थीगण

आदेश दिनांक::– 27.03.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने उक्त अनवानी वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है । ग्राम सुवानिचया पटवार हल्का सुवानिया तहसील बेगूँ में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 की पैतृक आराजीयात निम्नलिखित स्थित है :–

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर |
|---|---|
| 371 | 0.1200 |
| 372 | 0.4100 |
| 373 | 0.0200 |
| 375 | 0.4200 |
| कीता–4 रकबा | 0.9700 हैक्टर |

उक्त कलम संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 की पैतृक कृषि आराजीयात होकर परिवार का सजरा निम्नलिखित अनुसार है :–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

गोपी

शंभु | भैरू | धूलीबाई

शंकर

देवीसिंह | शंकरसिंह | मोहनसिंह | गीता | प्रेम

कमली

यह कि उक्त कलम सं. 2 में वर्णित आराजीयात सम्वत 2031–34 खाता संख्या 34 में गोपी पुत्र धूरा दरोगा सा. दे हके नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड थी जो उनकी मृत्यु पश्चात जरिये नामान्तरण संख्या 5 से भैरू शंभु पिता गोपी के नाम दर्ज कर दी गई जबकि गोपी जी के 3 वारिस भैरू व शंभु पुत्र एवं धूली पुत्री थी। इस प्रकार उक्त आराजी गोपी की विरासत से भैरू (विपक्षी संख्या 2 के दादा) शंभू विपक्षी सं0 1 एवं धूली (प्रार्थीगण की माता) के नराम दर्ज होना चाहिए थी। ऐसे दर्ज नहीं किये जाने से नामान्तरण संख्या 5 की प्रवृष्ठि अवैध प्रविष्ठी मानी जाकर प्रार्थीगण के अधिकारो के मुकाबले शुन्य व निःप्रभावी है एवं नामान्तरण संख्या 5 पर दिया गया नियय विधि विपरित होकर अवैध एवं शुन्य है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

यह कि उक्त कलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण की माता धूलीबाई का गोपी जी की पुत्री होने से 1/3 हक हिस्सा निहित था जो उनकी मृत्यु पश्चात प्रार्थीगण में निहित हो गया एवं प्रार्थीगण उक्त कृषि आराजीयात में अपना निहित हक हिस्सा 1/3 हिस्सा घोषित करा, बाद घोषणा विभाजन करा पृथक कब्जे प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अपना हिस्सा विपक्षीगण के नाम कराने की कहा तो उन्होने मना कर दिया इतना ही नही इन्होने धमकी दे दी की हम तो जमीन ही अन्य को बेच दे गें जो तुमसे बन पडे कर लेना इस प्रकार यदि विपक्षी सं0 1 व 2 भूमि अन्य को हस्तान्तरित कर देगें तो प्रार्थीगण के विधिक अधिकारी खतरे में पड जायेगें एवं प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य मुकद्में बाजी बढेगी साथ ही विपक्षीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

यह कि विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने पर उन्हें किसी तरह का नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमा मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक प्रार्थना पत्र की कलम सं0 2 में वर्णित आराजीयात को विपक्षी सं0 1 व 2 किसी को भी किसी भी रूप में अंतरित नहीं करे न करावे एवं विपक्षी सं0 3 राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन नहीं करें इस बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्रदान किया जावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, विपक्षीगण बावजूद सूचना के न्यायालय मे उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

पत्रावली में विपक्षीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही आदेश होने के पश्चात अधिवक्ता गणों की एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट पर ध्यानपूर्वक सुनी गई जिन्होने अपनी बहस को प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए विपक्षीगण को मूल वाद के अंतिम निस्तारण प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि को हस्तांरित नहीं किये जाने व राजस्व रिकोर्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किये जाने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

बहस सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया , प्रस्तुत जमाबंदी मौजा सुवानिया की सम्वत 2078 के खाता संख्या 14 में दर्ज आराजी संख्या 371, 372, 373, 375 कीता– 4 कुल रकबा 0.9700 हैक्टर भूमि के खातेदार कालीबाई पुत्री शंकर हिस्सा 1/2 व शंभू पुत्र गोपी हिस्सा 1/2 जाति दरोगा सा.देह खातेदार दर्ज है। एक अन्य नकल जमाबंदी सम्वत 2031 से 34 तक में यह वर्णित आराजीयात के खातेदार गोपी पुत्र भूरा के नाम पर दर्ज थी , उक्त जमाबंदी मे नोट अंकित है कि जरिये इन्तकाल नं. 5 दिनांक 14.11.75 से गोपी के फोत होने से भैरू शंभू पिता गोपी के नाम दर्ज की स्वीकृति हुई।

उपरोक्त दस्तावेज के अवलोकन से वर्णित कृषि आराजीयात के खातेदार गोपी जी थे जिनके मृत्यु पश्चात उनके पुत्र शंभू व भैरू हुए तथा भैरू की मृत्यु होने पर उनके पुत्र शंकर की पुत्र काली के नाम पर यह भूमि दर्ज है। गोपी की पुत्री धूलीबाई जो प्रार्थीगण की माता है उनका नाम गोपी की विरासत में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थीगण अपने ननिहाल की सम्पत्ति में अपना नाम घोषित करा पाने एवं विभाजन करा पाने के अधिकारी है अथवा नहीं यह सभी तथ्य मूल वाद में जरिये साक्ष्य सबूत के आधार पर देखा जाना है। वाद पत्र को प्रस्तुत करने पर बिना किसी ठोस आधार के किसी खातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है। साथ ही प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजीयात में प्रार्थीगण का कब्जा काश्त सिद्ध नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

न्यायालय द्वारा यदि वर्णित कृषि आराजीयात के खातेदार विपक्षीगण संख्या 1 व 2 कों जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो निश्चित ही विपक्षीगण को अपूर्तनीय क्षति होती है जबकि प्रार्थीगण को कोई क्षति होने की संभावना नही होती है। इस प्रकार इस प्रार्थना पत्र निस्तारण के तीनों ही मुख्य बिन्दुओं को प्रार्थीगण जरिये दस्तावेजी साक्ष्य से अपने पक्ष में सिद्ध करानें में पूर्णतया असफल रहे है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 27.03.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं